28-5-24

पत्रावली पक्ष हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 21/6/24 को पेश हो।

5-6-24

वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई। प्रार्थना को शा० प० किया गया। प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है इस कारण वादी वाद पत्र को आगे नही चलाना चाहता है अतः वाद पत्र को इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावे।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रकरण का अध्ययन किया। न्यायहित मे प्रा० प० को स्वीकार किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:55:51 IST
Reason: SelfAttested